मुद्रक–सैंहणा ऑफसैट प्रिन्टिंग प्रेस,सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उमरसा बनाम रामेश्वर

मुकदमा राजा मु0नं0 83/13

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/17	प्रार्थी पेश हुए। प्रार्थी अभिभाषक ने आदेश 10 व 11 CPC पर निर्णय अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थी का अभिभाषक विपक्षी के वकील का बयान लिया। आदेश 10 व 11 CPC के उपबन्ध बनाम रामेश्वर वगैरह में इस न्यायालय द्वारा 115/06 निर्णय दि 6-5-13 में सरकार एवं विपक्षी व्यक्ति एवं अन्य वाद नं 83/13 उमरसा बनाम रामेश्वर एक ही होने से एवं दावा अदालत कायम का होने से इस निर्णय पर पहुँचे है कि इस पर रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त लागू होते है अतः आदेश 10 व 11 CPC स्वीकार किया जाता है। एवं दावा अधूरा परिपूर्ण नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी मोकदमा खर्चा होकर नकद से चाहे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाये जाकर न्यायालय में उनाम गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

Scanned by CamScanner